कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ।

पत्रांक 275 /अलीगढ़/15639/2015 ,अलीगढः दिनांकः जुलाईः 26 ,2017

सेवा में,

डिवीजनल मैनेजर,
एस्सार ऑयल लिमिटेड,
ए–5, सेक्टर–3, नोएडा।

विषयः– अलीगढ़–मथुरा मार्ग (एस0एच0–80) किमी0 चैनेज 3.920 की दांयी पटरी पर ग्राम दौलताबाद के खसरा संख्या– 13 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.04085 है0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः– भारत सरकार प्रर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्र स0–8बी/ यू0पी0/06/49/2016/एफ0सी0/164 दि0 19.07.2017.

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करें। इस सम्बंध में अवगत कराना है कि विषयक प्रकरण में भारत सरकार प्रर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उक्त सन्दर्भित पत्र दि 19–07–2017 द्वारा कतिपय शर्तो के अधीन सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्वान्तिक स्वीकृति में उल्लिखिति समस्त शर्तो का अनुपालन आपसे वांछनीय है। कृपया निर्धारित शर्त स0–1 से 6 तक निम्न प्रकार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तथा मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ की पत्र सं0–384/2–37–2 (ई–पेमेन्ट पोर्टल) दि0 20–09–2015 में दिये गये निर्देशानुसार वांछित सूचना/अभिलेख यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ताकि इस सम्बंध में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में 100 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 1,22,000/– (एक लाख बाइस हजार मात्र) (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से जमा कर पावती रसीद की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार के पत्र सं–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि रू0 25,572/– (पच्चीस हजार पांच सौ बहत्तर मात्र) ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से जमाकर पावती रसीद की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

   (ख) इसके उपरान्त याचक विभाग द्वारा ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृती की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाये। तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर भारत सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

   (ग) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन0पी0वी0 की दरों में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

3– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्रों का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पिलर पर दर्शाया जायेगा। और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगीं। इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण पत्र भी इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

4– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाये कि उनके द्वारा पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास के बीच की (96.0 वर्गमीटर) भूमि का उपयोग वृक्ष लगाने एवं उसे संरक्षित करने में किया जाएगा एवं इसका सीमांकन 2 फीट ऊंची दीवाल बनाकर किया जायेगा।

5– प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेंगी।

6– प्रयोक्ता अभिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार से वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट अनुपालन आख्या भारत सरकार के पत्र– II/FC/ROC/95-2011/Part-V/1227 दिनांक 02.02.2016 द्वारा दिये गये निर्देषों के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार के स्तर से निर्गत की जायेगी।

(एस0डी0 त्रिपाठी)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अनीगढ़।

पत्रांक (1)/ दिनांकित।

1– प्रतिलिपिः– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को विषयक क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।

2– प्रतिलिपिः– वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एस0डी0 त्रिपाठी)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।